

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या-12/2017-18

प्रथम पक्ष:-अमीरुल्लाह, ग्राम-सिमरिया कला, थाना-सिमरिया, जिला-चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्ष:-अंचल अधिकारी, सिमरिया।

3

1

2

आदेश

इस वाद की प्रक्रिया आवेदक-मो0 अमीरुल्लाह, पिता-ईस्माईल मियां, साकिन-सिमरिया कला, थाना-सिमरिया, जिला-चतरा के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ की गई है। इस वाद में प्रथम पक्ष मो0 अमीरुल्लाह, पिता-ईस्माईल मियां, साकिन-सिमरिया कला, थाना-सिमरिया, है, जबकि द्वितीय पक्ष अंचल अधिकारी, सिमरिया, जिला-चतरा है। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :-

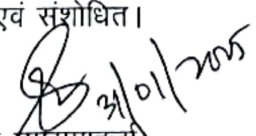
मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा	मधे रकबा
बन्हें	09	559, 594, 596, 597, 725, 676, 677, 678, 682, 684, 491, 558	0.35, 0.11, 0.12, 0.76, 0.07, 0.11, <u>0.70, 0.08, 0.26,</u> <u>0.03, 0.48, 0.25</u>	0.08 3/4, 0.02, 0.02, 0.04, 0.03 <u>1/2, 0.21</u>
	16	604, 694	1.05, 0.53	0.05, 0.11
	कुल-			0.57 1/4 एकड़

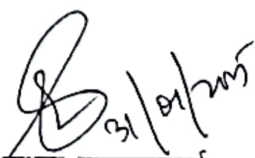
इस वाद की प्रक्रिया के क्रम में दिनांक-24.01.2025 को प्रथम पक्ष मो0 अमीरुल्लाह, पिता-ईस्माईल मियां, साकिन-सिमरिया कला, थाना-सिमरिया के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन समर्पित कर कहा गया है कि मेरे द्वारा जिस खाता-प्लॉट की भूमि का लगान रसीद निर्गत करवाने हेतु वाद लाया गया था, जो वर्तमान में अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमरिया के न्यायालय के आदेश के आलोक में रसीद निर्गत करवा दी गई है।

उक्त के आलोक में प्रथम पक्ष के द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रश्नगत भू-खण्ड पर चल रहे विविध वाद संख्या-12/2017-18 को बन्द कर दिया जाय।

अतः प्रथम पक्ष मो0 अमीरुल्लाह, पिता-ईस्माईल मियां, साकिन-सिमरिया कला, थाना-सिमरिया के लिखित आवेदन के आलोक में इस वाद की अग्रेत्तर कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


 भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
 सिमरिया।


 भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
 सिमरिया।